क्लायंट आईडी : | | | | | | | |

आवेदन सं. :

एनएसडीएल
डिपॉजिटरी (डीमैट)
खाता खोलने तथा के.वाई.सी. रजिस्ट्रेशन फार्म

एकल व्यक्तियों/एन.आर.आई. के लिए

राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी लिमिटेड के डिपॉजिटरी प्रतिभागी

डीपी आईडी : आईएन 300749 सेबी पंजीकरण संख्या : आईएन-डीपी- एनएसडीएल-77-98 दिनांक 29-10-2009

बीओ नाम :

डीपी आंतरिक संदर्भ संख्या:

के.आर.ए. संदर्भ :

प्रभार खाता संख्या :

ग्राहक आईडी :

लाभांश खाता संख्या:

खाते का विपणनकर्ता :

*फार्म से संबंधित पूछताछ के लिए कृपया संपर्क करें
शाखा का पता एवं संपर्क विवरण

बैंक ऑफ़ इंडिया - एन.एस.डी.एल. डी.पी.ओ.
बैंक ऑफ़ इंडिया भवन,प्रथम तल,
70/80, एम.जी.रोड, फोर्ट,
मुंबई - 400 001.
फोन : 022 2269 6062/59/2267 1517
ई-मेलmumbaisouthzone.dpo@bankofindia.co.in
वेबसाइट : www.bankofindia.co.in

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India BOI

डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कार्यालय (एन.एस.डी.एल.)

मुंबई दक्षिण अंचल, प्रथम तल, 70/80, एम.जी.रोड,मुंबई - 400 001.

अनुसूची 'ए'

(डीपी - आईडी -आईएन300749)

प्रभार प्रभावी 01.06.2008(सामान्य निवेशकों के लिए)

सेवा का प्रकार	प्रभार
खाता खोलने का प्रभार	शून्य
खाता बंद करने का प्रभार	शून्य
खाता रख-रखाव प्रभार	रु.350/- वार्षिक - (डायमण्ड ग्राहकों के लिए शून्य)
बीएसडीए खाते के ए.एम.सी. के लिए (01.10.2012 से प्रभावी)	1) रु.50,000/- तक होल्डिंग का मूल्य - शून्य 2) रु.50,001/- से रु.2,00,000 तक - रु.100/- 3) रु.2,00,000/- से अधिक - सामान्य ए.एम.सी.
खाता फ्रीज तथा अन-फ्रीज करने का प्रभार	रु.50/- = प्रति अवसर पर
संव्यवहार प्रभार (मार्केट/ऑफ मार्केट) (इक्विटी तथा डेब्ट) डेब्ट - सीपी/सीडी/जी-सेक	बिक्री रु.24.50 प्रति संव्यवहार - (सर्वश्रेष्ठ प्रयास आधार पर डीआईएस की देर से प्राप्ति के लिए अपफ्रन्ट प्रति आईएसआईएन रु.50/-) बिक्री रु.250/- प्रति संव्यवहार
अभिरक्षा प्रभार(इक्विटी तथा डेब्ट)	कोई अभिरक्षा शुल्क नहीं।
डीमैट निवेदन प्रभार (प्रति निवेदन प्रति आईएसआईएन)	रु.5/- प्रति प्रमाणपत्र (न्यूनतम रु.50/-) + कूरियर/हैंडलिंग प्रभार रु.50/- इंटरनेट रिजेक्शन रु.100/-
रीमैट निवेदन प्रभार (प्रति निवेदन प्रति आईएसआईएन)	रु.50/- प्रति निवेदन + कूरियर/हैंडलिंग प्रभार रु.50/-
बंधक/दृष्टिबंधक प्रभार	प्रभार सृजन - रु.50/- प्रभार बंदी - रु.50/- प्रभार लागूकरण - रु.250/-
खाते का विवरण (एन.एस.डी.एल. नियमों के अनुसार)	एन.एस.डी.एल. नियमों के अनुसार - शून्य अतिरिक्त विवरणी हेतु रु.25/- प्रत्येक हेतु यदि प्रति क्लाइंट आई.डी. पृष्ठों की संख्या 10 से ज्यादा होती है तो प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए रु.5/- प्रभारित किया जायेगा।
पैन जमा न करने, के.वाई.सी. नियमों के अनुपालन के संबंध में, ए.एम.सी. का भुगतान करने करने या किसी अन्य कारण से "डेबिट के लिए निलंबित", डीमैट खाते को सक्रिय करने के लिए	रु.250/-, 31.03.2009 तक (एक बारगी) अफ्रन्ट भुगतान योग्य
ई-मेल के माध्यम से विवरण	नि:शुल्क
एन.एस.डी.एल. का आइडिया सर्विस	नि:शुल्क
मोबाइल अलर्ट	नि:शुल्क
मांग पर्ची के बिना डिलिवरी अनुदेश पर्ची का जारीकरण	रु.100/- प्रति अवसर (अपफ्रन्ट भुगतान योग्य)
डिलिवरी अनुदेश पर्ची का अंतरण रोकना	रु.10 प्रति पर्ची न्यूनतम रु.50/- (भुगतान योग्य) अपफ्रन्ट
केवाईसी प्रभार प्रति आवेदक	**रु.50/-**

नोट : यथा लागू सभी कर अतिरिक्त प्रभारित किये जायेंगे।

- यदि गिरवीकर्ता का हमारे डी.पी.ओ. के साथ खाता नहीं है तो फिर गिरवीकर्ता के ऊपर अलग से, गिरवी पुष्टिकरण तथा गिरवी बंदी पुष्टि, प्रत्येक के लिए रु.50/- तथा रु.250/- का गिरवी लागूकरण प्रभार प्रभारित किया जायेगा।
- बिलिंग, तिमाही आधार पर होगा। संव्यवहार तथा अन्य प्रभार, तिमाही आधार पर भुगतान योग्य होंगे।

- ऊपर उद्धृत प्रभार सूचीबद्ध सेवाओं के लिए हैं। ऐसी कोई सेवा जो ऊपर उद्धृत नहीं की गयी है, उसे अलग से प्रभारित किया जायेगा।
- प्रभारित खाते में अपर्याप्त शेष राशि/अन्य कारणों से बिल की वसूली न होने पर क्लायंट को दो दिनों के नोटिस के साथ खाते में सेवाओं को निलंबित करने का अधिकार बैंक आरक्षित रखता है।
- सांविधिक प्रभारों को छोड़कर, खाता खोलने के संबंध में कोई प्रभार नहीं।
- प्रभार क्लायंट को 30 दिन का नोटिस देकर बैंक के एक पक्षीय अनुदेश पर संशोधन के अधीन हैं।

प्रति,
बैंक ऑफ़ इंडिया,
डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट कार्यालय(एन.एस.डी.एल.)
मुंबई दक्षिण अंचल, प्रथम तल, 70/80,
एम.जी.रोड, मुंबई - 400 001.

प्राप्त करने का अधिकार तथा उसका उत्तरदायित्व
हार्ड प्रति ☐
ई-मेल द्वारा ☐

महोदय,

मैंने/हमने, उपर्युक्त के अनुसार विभिन्न प्रभारों को नोट किया है तथा मैं/हम अपने खाते में पर्याप्त बैलेंस का रखरखाव करने का वचन देते हैं।

मैं/हम अपरिवर्तनीय रूप से आपको मेरे/हमारे बचत बैंक/ ओ.डी. खाता/ चालू खाता संख्या ☐ डेबिट करने के लिए प्राधिकृत करते हैं जो ________________________________ के नाम पर है तथा जो आपके साथ मेरे डीमैट खाते के संबंध में सृजित होने वाले अभिरक्षा शुल्क/संव्यवहार शुल्क/अन्य प्रभारों के लिए आपकी ________________ शाखा में रखा गया है।

1.____________________ 2. ____________________ 3. ____________________

खाताधारकों के हस्ताक्षर/प्राधिकृत हस्ताक्षरी

तारीख:

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI

(डीपी - आईडी -आई.एन.300749)

डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कार्यालय (एनएसडीएल)

मुंबई दक्षिण अंचल, प्रथम तल, 70/80, एम.जी.रोड, मुंबई-400 001.

अनुलग्नक- जे

भाग II - खाता खोलने का फार्म

(एकल व्यक्तियों के लिए)

क्लायंट- आई.डी. (पार्टिसिपेंट द्वारा भरा जाना है।)

मैं/हम आपसे निवेदन करते हैं कि निम्नलिखित विवरण के अनुसार मेरे/हमारे नाम पर डिपॉजिटरी खाता खोलें :
(कृपया सभी विवरणों को **बड़े अक्षरों** में ही भरें)

दिनांक(दिन/म./वर्ष)

क) **खाताधारक(कों) का विवरण**:

ए)	खाताधारक	एकल/प्रथम धारक		द्वितीय धारक		तृतीय धारक	
	नाम						
	पैन						
	व्यवसाय (कृपया किसी एक को टिक करें तथा संक्षिप्त विवरण दें)	☐ निजी क्षेत्र	☐ कृषि	☐ निजी क्षेत्र	☐ कृषि	☐ निजी क्षेत्र	☐ कृषि
		☐ पब्लिक सेक्टर	☐ सेवानिवृत्त	☐ पब्लिक सेक्टर	☐ सेवानिवृत्त	☐ पब्लिक सेक्टर	☐ सेवानिवृत्त
		☐ सरकारी सेवा	☐ गृहणी	☐ सरकारी सेवा	☐ गृहणी	☐ सरकारी सेवा	☐ गृहणी
		☐ व्यवसाय	☐ छात्र	☐ व्यवसाय	☐ छात्र	☐ व्यवसाय	☐ छात्र
		☐ पेशेवर	☐ अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	☐ पेशेवर	☐ अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	☐ पेशेवर	☐ अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
	संक्षिप्त विवरण						

बी) **एच.यू.एफ**., व्यक्तियों के संघ (एओपी), पार्टनरशिप फर्म, अपंजीकृत ट्रस्ट इत्यादि के संबंध में यद्यपि प्राकृतिक व्यक्तियों के नाम पर खात खोले जाने हैं परन्तु एच.यू.एफ., व्यक्तियों के संघ(एओपी), पार्टनरशिप फर्म, अपंजीकृत ट्रस्ट इत्यादि के नाम और पैन निम्नलिखित प्रकार से उल्लिखिति किये जाने चाहिए:

क)नाम ____ ख) पैन ____

सी) **खाते का प्रकार**

☐ सामान्य निवासी ☐ एन.आर.आई.-प्रत्यावर्तनीय ☐ एन.आर.आई.-गैर प्रत्यावर्तनीय

☐ परिभाषित विदेशी निवेशक ☐ विदेशी नागरिक ☐ प्रवर्तक

☐ मार्जिन ☐ अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

डी) **सकल वार्षिक आय विवरण प्रतिवर्ष आय रेंज (कृपया किसी एक पर टिक करें)**

☐ एक लाख से कम ☐ 1-5 लाख ☐ 5-10 लाख

☐ 10-25 लाख ☐ 25 लाख से ज्यादा

ई) **एन.आर.आई. और विदेशी नागरिकों के मामले में**

आर.बी.आई. अनुमोदन संदर्भ संख्या

आर.बी.आई. अनुमोदन तारीख (दिन/म./वर्ष)

एफ) **बैंक का विवरण**

1. बैंक खाता प्रकार	☐ बचत खाता	☐ चालू खाता	☐ अन्य (कृपया निर्धारित करें)	
2. बैंक खाता सं.				
3. बैंक का नाम				
4. शाखा का पता				
	शहर/नगर/गाँव		पिन कोड	
	राज्य		देश	
5. एम.आई.सी.आर. कोड				
6. आई.एफ.एस.सी.				

जी) **कृपया टिक करें, यदि लागू है तो** : ☐ राजनीतिक दृष्टि से एक्सपोज्ड (पीईपी) ☐ राजनीतिक दृष्टि से एक्सपोज्ड के संबंध में (पीईपी)

एच)	**स्थायी अनुदेश**	
	1 मैं/हम आपको मेरे/हमारे खाते में स्वत: क्रेडिट प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत करते हैं।	☐ **हां** ☐ **नहीं**
	2 मुख्तारनामा(पी.ओ.ए.) के माध्यम से खाता परिचालित करना	☐ **हां** ☐ **नहीं**
	3 **एसएमएस अलर्ट सुविधा** : (*यदि आप मुख्तारनामा(पी.ओ.ए.) देते हैं तो यह अनिवार्य है। सुनिश्चित करें कि केवाईसी आवेदन फार्म में मोबाइल नं. दिया गया है।*)	

क्र.सं..	धारक	हां	नहीं
1.	एकल/प्रथम धारक		
2.	द्वितीय धारक		
3	तृतीय धारक		

4.

खाते का विवरण प्राप्त करने का माध्यम (किसी एक को टिक करें)	☐ फिजिकल फार्म
	☐ इलेक्ट्रानिक फार्म (*नोट 4 पढ़े एवं सुनिश्चित करें कि केवाईसी आवेदन फार्म में ई-मेल आईडी प्रदान की गई है।*)

आई) **अभिभावक का विवरण** (*जहाँ एकलधारक नाबालिग है।*)

[नाबालिग के खाते के संबंध में, दो के.वाई.सी.आवेदन फार्म अवश्य भरे जाने हैं अर्थात् एक अभिभावक के लिए तथा दूसरा नाबालिग के लिए] *(इसे अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना है)*

अभिभावक का नाम										
पैन नं.										
अवयस्क के साथ अभिभावक का संबंध										

जे) **नामांकन विकल्प : प्रत्येक समान नामिति का हिस्सा** ☐ | ☐ % | ☐ % | ☐ %

☐ मैं/हम नामांकन करना चाहते हैं। **(*नीचे दिए गए विवरण के अनुसार*)**	☐ मैं/हम नामांकन नहीं करना चाहते हैं। **(*नीचे दिए गए नामांकन विवरण को काट दें*)**

मैं/हम नामांकन करना चाहते हैं तथा एतद्-द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को नामित करते हैं जिसमें मेरी/हमारी मृत्यु के मामले में उक्त लाभार्थी स्वामी खाते में, मेरे/हमारे द्वारा डिपॉजिटरी में धारित प्रतिभूतियों के संबंध में सभी अधिकार तथा/भुगतान योग्य राशि निहित होंगी।

नामांकन विवरण :

	खाते में तीन नामितियों तक नामांकन किया जा सकता है	प्रथम नामिति का विवरण	द्वितीय नामिति का विवरण	तृतीय नामिति का विवरण
1	**नामिती(यों) का नाम (श्री/सुश्री)**			
2	**प्रत्येक नामिति का समान हिस्सा** ☐	%	%	%
	(यदि समान नहीं है तो, कृपया प्रतिशत स्पष्ट करें)	*विभाजन के बाद यदि कोई विषम अंश होता है तो इसे फार्म में उल्लिखित प्रथम नामिति को अंतरित किया जायेगा।*		
3	**आवेदककर्ता के साथ संबंध (यदि कोई हो)**			
4	**नामिती(यों) का पता** **पिन कोड** ☐	☐	☐	☐
5	**नामिति(यों) का मोबाइल/टेलीफोन सं.**			
6	**नामिती(यों) का ई-मेल आईडी**			
7	**नामिती का पहचान विवरण (कृपया निम्नलिखित में से किसी एक पर टिक करें एवं उसका विवरण प्रदान करें)** ☐ **पैन** ☐ **फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर** ☐ **आधार** ☐ **बचत बैंक खाता सं.**	फोटो	फोटो	फोटो

		☐ **पहचान का प्रमाणपत्र** ☐ **डीमैट खाता आईडी**	X	X	X
		क्रमांक 8-14 केवल तभी भरा जाये जब नामिती अवयस्क हो :			
	8	जन्मतिथि (अवयस्क नामिती के मामले में)			
	9	अभिभावक का नाम (श्री/सुश्री) (अवयस्क नामिती के मामले में)			
	10	**अभिभावक(कों) का पता** **पिन कोड**	☐	☐	☐
	11	अभिभावक का मोबाइल/टेलीफोन सं.			
	12	अभिभावक का ई-मेल आईडी			
	13	नामिती के साथ अभिभावक का संबंध			
	14	अभिभावक का पहचान विवरण (कृपया निम्नलिखित में से किसी एक पर टिक करें एवं उसका विवरण प्रदान करें) ☐ पैन ☐ फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर ☐ आधार ☐ बचत बैंक खाता सं. ☐ पहचान का प्रमाणपत्र ☐ डीमैट खाता आईडी	फोटो X	फोटो X	फोटो X
	15	☐ **मोबाइल सं.** ☐ **ई-मेल आईडी**			
		मैं एतद्-द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त मोबाइल संख्या अथवा ई-मेल आईडी ☐ मेरी अथवा ☐ मेरे परिवार (पति/पत्नी, आश्रित बच्चे तथा आश्रित अभिभावक) की है।			
		एकल/प्रथम धारक/अभिभावक (एकल धारक के अवयस्क होने के मामले में) (श्री/सुश्री)			
		द्वितीय धारक (श्री/सुश्री)			
		तृतीय धारक (श्री/सुश्री)			

घोषणा

किसी खाते से संबंधित डिपॉजिटरी एवं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेन्ट के नियम एवं विनियम जो कि अब प्रभाव में हैं, को मेरे/हमारे द्वारा पढ़ लिया गया है तथा मैंने/हमने उसे समझ लिया है एवं मैं/हम ऐसे खातों के लिए समय-समय पर प्रभाव के आने वाले नियमों का पालन करने के लिए बाध्य हूँ/हैं। मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त प्रस्तुत किया गया विवरण, मेरी/हमारी जानकारी एवं विश्वास में सही एवं सत्य है तथा इसमें कोई भी परिवर्तन होने पर, मैं/हम तत्काल सूचित करने का वचन देते हैं। उपर्युक्त जानकारी के गलत या असत्य या भ्रामक अथवा मिथ्या पाये जाने के मामले में मैं/हम परिचित हूँ/हैं कि इसकी जिम्मेदारी मेरी/हमारी होगी। अनिवासी खाते के मामले में, मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम एफईएमई विनियमों का अनुपालन कर चुके है एवं इसका पालन करना जारी रखेंगे। मैं/हम दस्तावेज की प्रति की रसीद की पावती देता हूँ/देते हैं। “लाभार्थी स्वामी तथा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के अधिकार एवं दायित्व।”

धारक(कों) का नाम		धारक(कों) के हस्ताक्षर
एकल/प्रथम धारक/अभिभावक (एकल धारक के की स्थिति में) (श्री/सुश्री)		*
दूसरा धारक (श्री/सुश्री)		*
तीसरा धारक (श्री/सुश्री)		*

नोट :

1. केवल एकल/प्रथम धारक के पते पर सभी पत्राचार किए जायेंगे।
2. अंगूठे का निशान एवं हस्ताक्षर, अंग्रेजी अथवा हिंदी के अलावा अन्य किसी भाषा, जो आठवीं अनुसूची या भारत के संविधान में नहीं है, को किसी मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी पब्लिक अथवा विशेष एक्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित किया जाना है।
3. नामिती से संबंधित अनुदेश निम्नलिखित है :
   - i. नामांकन, केवल ऐसे एकल व्यक्तियों द्वारा, एकल या संयुक्त रूप से, अपनी ओर से किया जा सकता है, जो लाभार्थी स्वामी खाते को धारण करते हैं। सोसायटी, ट्रस्ट, बॉडी कॉरपोरेट, भागेदारी फर्म, हिन्दू अविभक्त परिवार का कर्ता, मुख्तारनामा का धारक सहित अवैयक्तिक संस्थाओं आदि को नामांकन करने का अधिकार नहीं है। यदि खाता संयुक्त रूप से है तो सभी संयुक्त धारक नामांकन फार्म पर हस्ताक्षर करेंगे।
   - ii. अवयस्क को नामित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, अवयस्क नामिती के अभिभावक का नाम एवं पता, लाभार्थी स्वामी द्वारा प्रदान किया जाएगा। लाभार्थी स्वामी अवयस्क नामिति के लिए पुन: अभिभावक नहीं हो सकता है।
   - iii. ट्रस्ट, सोसायटी, बॉडी कॉरपोरेट, भागेदारी फर्म, हिन्दू अविभक्त परिवार का कर्ता अथवा मुख्तारनामा धारक नामिती नहीं हो सकता है। कोई अनिवासी भारतीय नामिती हो सकता है, परन्तु यह समय-समय पर प्रभावी विनिमय नियंत्रण के अध्यधीन होगा।
   - iv. लाभार्थी स्वामी खाते के संबंध में नामांकन निरस्त समझा जायेगा जब लाभार्थी स्वामी का खाता बंद होता है। इसी प्रकार प्रतिभूतियों के संबंध में नामांकन प्रतिभूतियों के अंतरण के बाद समाप्त हो जाता है।
   - v. नामिति के पक्ष में प्रतिभूतियों का अंतरण, डिपॉजिटरी के द्वारा वैध उन्मोचन होगा, यदि वह विधिक वारिस को हो।
   - vi. नामांकन को केवल एकल व्यक्तियों द्वारा निरस्त किया जा सकता है, जो उनके अपने पक्ष से, अकेले या संयुक्त रूप से, लाभार्थी स्वामी खाता धारण करते हैं तथा यह उसी व्यक्ति द्वारा होगा जिसने मूल नामांकन किया था। सोसायटी, ट्रस्ट, बॉडी सहित गैर-वैयक्तिक संस्थाओं के मामले में यदि लाभार्थी स्वामी खाता संयुक्त रूप से रखा गया है तो सभी संयुक्त खाताधारक निरस्त किये जाने वाले फार्म पर हस्ताक्षर करेंगे।
   - vii. नामांकन रद्द होने पर, नामांकन निरस्त हो जायेगा तथा नामिति के पक्ष में प्रतिभूतियों के अंतरण की कोई भी देयता डिपॉजिटरी पर नहीं होगी।
4. इलेक्ट्रॉनिक रूप में खाते का विवरण प्राप्त करने के लिए :
   - i. क्लायंट को ई-मेल खाते के पासवर्ड की गोपनीयता अवश्य सुनिश्चित करनी चाहिए।
   - ii. यदि ई-मेल पता बदल गया है तो पार्टिसिपेंट को अवश्य ही तत्काल सूचित करना चाहिए।
   - iii. 10 दिन की पूर्व सूचना देकर क्लायंट इस सुविधा को बंद करने का विकल्प चुन सकता है। इसी प्रकार 10 दिनों की पूर्व सूचना देकर पार्टिसिपेंट भी इस सुविधा को बंद करने का विकल्प चुन सकता है।
5. जो लागू न हो, उसे काट दें।

चेक लिस्ट :

1. ए-4 आकार के कागज पर पैन कार्ड तथा अन्य दस्तावेजों की प्रति, तस्वीरों को साफ तथा स्पष्ट होना चाहिए।
2. यदि पैन कार्ड की प्रति स्पष्ट नहीं है तो कृपया रंगीन फोटोकॉपी प्रस्तुत करें।
3. आवेदन फॉर्म के अनुसार सभी आवेदकों के स्थानीय/पत्राचार/विदेशी पते।
4. आवेदन फार्म के अनुसार फोटो पहचान पत्र/व्यक्तिगत सत्यापन किया जाना है।
5. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जिसे फोटोग्राफ के ऊपर विधिवत् हस्ताक्षरित किया जाना है अर्थात् हस्ताक्षर इस प्रकार से किया जाना है कि हस्ताक्षर का कुछ हिस्सा फोटोग्राफ पर हो तथा कुछ हिस्सा कागज पर।
6. एम.आई.सी.आर. की प्रति, लाभांश का चेक तथा प्रभारित खाता
7. पिनकोड, एम.आई.सी.आर, पैन कार्ड संख्या, आई.एफ.एस.सी.कोड जिसे आवेदन पर लिखा जाना है।
8. फोटोग्राफ के ऊपर (अक्रॉस) नामितियों तथा साक्षी के हस्ताक्षर। नामिती के नाबालिग होने के मामले में नामिती का जन्म प्रमाणपत्र।
9. बैंक/डी.पी. अधिकारी के समक्ष खाता खोलने का फार्म हस्ताक्षरित किया जाना है।
10. सभी समर्थक दस्तावेजों पर सत्यापन तथा शाखा का स्टाम्प होना है।
11. धारक द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों पर स्व-अभिप्रमाणन।

प्रथम धारक

सीकेवाईसी तथा केआरए केवाईसी फार्म

अपने क्लायंट को जाने
आवेदन फॉर्म (केवल एकल व्यक्तियों के लिए)
(कृपया इस फॉर्म को केवल अंग्रेजी में तथा बड़े अ भरें)
* से चिह्नित फील्ड अनिवार्य हैं।

आवेदन प्रकार* ☐ नया ☐ अपडेट केवाईसी संख्या ____________
केवाईसी प्रकार* ☐ सामान्य (पैन अनिवार्य है।) ☐ पैन से छूट प्राप्त निवेशक (अनुदेश K का संदर्भ लें)

1. पहचान का विवरण (कृपया अंत में अनुदेश ए का संदर्भ लें)

पैन ________________(कृपया अपने पैन कार्ड का विधिवत अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)

	उपाधि	प्रथम नाम	मध्यम नाम	उपनाम
नाम (जैसा कि आई.डी.प्रमाण में है।)				
पूर्व नाम (यदि कोई हो)				
पिता/पत्नी/पति का नाम				
माता का नाम				

जन्म तिथि ☐☐- ☐☐ - ☐☐☐☐

फोटो

फोटो ग्राफ के नीचे हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान

लिंग* ☐ एम-पुरुष ☐ एफ-महिला ☐ टी-ट्रांस्जेंडर

वैवाहिक स्थिति*
☐ विवाहित ☐ गैर-विवाहित ☐ अन्य

देश कोड ☐☐

नागरिकता* ☐ आईएन - भारतीय ☐ अन्य-देश ________

निवासीय स्थिति* ☐ भारत निवासी एकल व्यक्ति ☐ गैर निवासी भारतीय
☐ विदेशी नागरिक ☐ भारतीय मूल का व्यक्ति

कारोबार प्रकार* ☐ एस-सेवा ☐ निजी क्षेत्र ☐ पब्लिक सेक्टर ☐ सरकारी क्षेत्र
☐ ओ-अन्य ☐ पेशेवार ☐ स्व-नियोजित ☐ सेवा-निवृत्त ☐ गृहणी ☐ छात्र
☐ बी-कारोबार ☐ एक्स-वर्गीकृत नहीं

2. पहचान का प्रमाण (पीओआई)(पैन कार्ड से छूट प्राप्त निवेशकों यदि पैन कार्ड की हार्ड प्रति नहीं दी गयी है)(कृपया अंत में सी एवं के अनुदेशों का संदर्भ लें)

निम्नलिखित में से (पहचान के प्रमाण (पीओआई) कोई एक सर्टिफायड प्रति प्रस्तुत की जानी है।)

☐ ए - पासपोर्ट संख्या		पासपोर्ट एक्सपायरी तारीख	
☐ बी- वोटर आई.डी. कार्ड			
☐ डी ड्राइविंग लाइसेंस		ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायरी तारीख	
☐ ई-आधार कार्ड			
☐ एफ -नरेगा जॉब कार्ड			
☐ जेड-अन्य (केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य कोई दस्तावेज)		पहचान संख्या	

3. पते का प्रमाण (पीओए)

☐ 3.1 चालू/स्थाई/विदेशी पता विवरण (कृपया अंत में,अनुदेश डी को देखें।)

पता

पंक्ति 1					
पंक्ति 2					
पंक्ति 3				शहर/ /गांव*	
जिला*		जिप/पोस्ट कोड*		राज्य/यू.टी. कोड	भारतीय मोटरवाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार
राज्य/यूटी*		देश *		देश कोड	आईएसओ 3166 के अनुसार

पते का प्रकार* ☐ आवासीय/कारोबार ☐ आवासीय ☐ कारोबार ☐ पंजीकृत कार्यालय ☐ अनिर्धारित

(किसी एक निम्नलिखित पते का प्रमाण(पीओए) को जमा करना आवश्यक है।)

पते का प्रमाण*

☐ पासपोर्ट संख्या		पासपोर्ट एक्सपायरी तारीख	

☐ वोटर आई.डी. कार्ड

☐ ड्राइविंग लाइसेंस — ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायरी तारीख

☐ आधार कार्ड

☐ नरेगा जॉब कार्ड

☐ अन्य (केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य कोई दस्तावेज) — पहचान संख्या

3.2 पता/स्थानीय पता विवरण (कृपया अंत में अनुदेश ई देखें।)चालू/स्थाई/विदेशी पता विवरण के समान(अनेक पत्राचार/स्थानीय पते के मामले में, कृपया 'अनुलग्नक ए1' देखें तथा प्रासंगिक दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करें।)

पंक्ति 1*			
पंक्ति 2			
पंक्ति 3		शहर/ /गांव*	
जिला*	जिप/पोस्ट कोड*	राज्य/यू.टी. कोड	भारतीय मोटरवाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार

राज्य/यूटी*	देश *	देश कोड	आईएसओ 3166 के अनुसार

4. संपर्क विवरण (दिये गये मोबाइल नम्बर/ई-मेल आईडी पर सभी संप्रेषण भेजे जायेंगे)(कृपया अंत में अनुदेश एफ का संदर्भ लें।)

ई-मेल आईडी

मोबाइल - टेली.(आ.) -

5. एफ.ए.टी.सी.ए./सीआरएस जानकारी (यदि लागू हो तो टिक करें।) ☐ भारत के बाहर के क्षेत्राधिकार(दों) में कर के उद्देश्य के लिए निवास (कृपया अंत में अनुदेश बी का संदर्भ लें।)

अतिरिक्त आवश्यक विवरण* (यदि उपर्युक्त विकल्प (5)को टिक किया गया है तो ही यह अनिर्णय है।)

निवासी के क्षेत्राधिकार का देश* निवासी के क्षेत्राधिकार का देश कोड* आईएसओ 3166 अनुसार

कर पहचान संख्या या इसके समतुल्य (यदि क्षेत्राधिकार द्वारा जारी किया गया है)*

स्थान/जन्म का शहर* जन्म का देश* देश कोड आईएसओ3166के अनुसार

पता

पंक्ति 1			
पंक्ति 2			
पंक्ति 3		शहर/ /गांव*	
जिला*	जिप/पोस्ट कोड*	राज्य/यू.टी. कोड	भारतीय मोटरवाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार

राज्य/यूटी*	देश *	देश कोड	आईएसओ 3166 के अनुसार

6. संबंधित व्यक्तियों का विवरण (वैकल्पिक) (कृपया अंत में अनुदेश जी का संदर्भ लें।) (अतिरिक्त संबंधित व्यक्तियों के मामले में कृपया 'अनुलग्नक बी1' भरें।)

☐ संबंधित व्यक्ति ☐ संबंधित व्यक्ति का विलोपन संबंधित व्यक्ति की केवाईसी संख्या (यदि उपलब्ध है*)

संबंधित व्यक्ति का प्रकार* ☐ नाबालिग का अभिभावक ☐ समनुदेशिती ☐ प्राधिकृत प्रतिनिधि

	संबोधन	प्रथम नाम	मध्य नाम	उप नाम
नाम*				

(यदि के.वाई.सी. संख्या तथा नाम दिये गया हैं तो खण्ड 6 का निम्नलिखित विवरण वैकल्पिक है।)

☐ संबंधित व्यक्ति के पहचान का प्रमाण (पी.ओ.आई.) (कृपया अंत में अनुदेश (एच) को देखें)

निम्नलिखित में से (पहचान के प्रमाण (पीओआई) कोई एक सर्टिफायड प्रति प्रस्तुत की जानी है।)

☐ ए - पासपोर्ट संख्या — पासपोर्ट एक्सपायरी तारीख

☐ बी- वोटर आई.डी. कार्ड

☐ डी ड्राइविंग लाइसेंस — ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायरी तारीख

☐ ई-आधार कार्ड

☐ एफ -नरेगा जॉब कार्ड

☐ जेड-अन्य (केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य कोई दस्तावेज) — पहचान संख्या

7. टिप्पणी (यदि कोई हो तो)

8. आवेदक की घोषणा

* मैं एतद्-द्वारा घोषणा करता है कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास में सत्य तथा सही हैं तथा मैं यह घोषणा करता हूँ कि उसमें होने वालेकिसी भी बदलाव के संबंध में मैं आपको सूचित करूँगा। यदि उपर्युक्त जानकारी झूठी या असत्य या भ्रामक या मिथ्या पाई गयी तो मैं यह जानता हूँ कि मैं इसके लिए जिम्मेदार रहूंगा। मैं एतद्-द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं किसी सरकारी या सांविधिक प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी किसी अधिनियम, नियम विनियम या किसी विधान के कानून या किसी अधिसूचना/दिशा-निर्देश के

आवेदक के हस्ताक्षर/-
अंगूठे के निशान

उल्लंघन के लिए यह आवेदन नहीं प्रस्तुत कर रहा हूँ।

* मैं एतद्-द्वारा उपर्युक्त पंजीकृत संख्या/ई-मेल पते पर एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से सेन्ट्रल केवाईसी रजिस्ट्री से जानकारी प्राप्त करने की सहमति देता हूँ।

दिनांक: ☐☐ - ☐☐ -☐☐☐☐ स्थान : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

9. अभिप्रमाणन/केवल कार्यालय प्रयोग के लिए

दस्तावेज प्राप्त ☐ प्रमाणित प्रति

आई.पी.वी/केवाईसी सत्यापनकर्ता(अनुदेश आई तथा जे का संदर्भ लें।) **संस्थान का विवरण**

दिनांक	- -	नाम	
कर्मचारी नाम		कोड	
कर्मचारी कोड		कर्मचारी शाखा	
कर्मचारी पदनाम			

(कर्मचारी हस्ताक्षर)

कृते बैंक ऑफ़ इंडिया

(स्टाम्प)

द्वितीय धारक

सीकेवाईसी तथा केआरए केवाईसी फार्म

अपने क्लायंट को जाने
आवेदन फॉर्म (केवल एकल व्यक्तियों के लिए)
(कृपया इस फॉर्म को केवल अंग्रेजी में तथा बड़े अक्षरों में भरें)
* से चिह्नित फील्ड अनिवार्य हैं।

आवेदन प्रकार* ☐ नया ☐ अपडेट केवाईसी संख्या ____________________

केवाईसी प्रकार* ☐ सामान्य (पैन अनिवार्य है।) ☐ पैन से छूट प्राप्त निवेशक (अनुदेश K का संदर्भ लें)

1. पहचान का विवरण (कृपया अंत में अनुदेश ए का संदर्भ लें)

पैन ____________________(कृपया अपने पैन कार्ड का विधिवत अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)

	उपाधि	प्रथम नाम	मध्यम नाम	उपनाम
नाम* (जैसा कि आई.डी.प्रमाण में है।)				
पूर्व नाम* (यदि कोई हो)				
पिता/पत्नी/पति का नाम				
माता का नाम				

जन्म तिथि ☐☐-☐☐-☐☐☐☐

लिंग* एम-पुरुष ☐ एफ-महिला ☐ टी-ट्रांस्जेंडर ☐

फोटो

फोटो ग्राफ के नीचे हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान

वैवाहिक स्थिति*

☐ विवाहित ☐ गैर-विवाहित ☐ अन्य

देश कोड ☐☐

नागरिकता* ☐ आईएन - भारतीय ☐ अन्य-देश ________

निवासीय स्थिति* ☐ भारत निवासी एकल व्यक्ति ☐ गैर निवासी भारतीय ☐ विदेशी नागरिक ☐ भारतीय मूल का व्यक्ति

कारोबार प्रकार* ☐ एस-सेवा ☐ निजी क्षेत्र ☐ पब्लिक सेक्टर ☐ सरकारी क्षेत्र

☐ ओ-अन्य ☐ पेशेवार ☐ स्व-नियोजित ☐ सेवा-निवृत्त ☐ गृहणी ☐ छात्र

☐ बी-कारोबार ☐ एक्स-वर्गीकृत नहीं

2. पहचान का प्रमाण (पीओआई) (पैन कार्ड से छूट प्राप्त निवेशक यादि पैन कार्ड की हार्ड प्रति नहीं दी गयी है)(कृपया अंत में C एवं K अनुदेशों का संदर्भ लें)

निम्नलिखित में से पहचान के प्रमाण (पीओआई) <u>कोई एक</u> सर्टिफायड प्रति प्रस्तुत की जानी है।

☐ ए - पासपोर्ट संख्या		पासपोर्ट एक्सपायरी तारीख	
☐ बी- वोटर आई.डी. कार्ड			
☐ डी ड्राइविंग लाइसेंस		ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायरी तारीख	
☐ ई-आधार कार्ड			
☐ एफ -नरेगा जॉब कार्ड			

☐ जेड-अन्य (केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य कोई दस्तावेज) | पहचान संख्या

3. पते का प्रमाण (पीओए)

☐ 3.1 चालू/स्थाई/विदेशी पता विवरण (कृपया अंत में, अनुदेश डी को देखें।)

पता

पंक्ति 1*			
पंक्ति 2			
पंक्ति 3		शहर/कस्बा/गांव*	
जिला*	जिप/पोस्ट कोड*	राज्य/यू.टी. कोड	भारतीय मोटरवाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार

राज्य/यूटी*		देश *		देश कोड		आईएसओ 3166 के अनुसार

पते का प्रकार* ☐ आवासीय/कारोबार ☐ आवासीय ☐ कारोबार ☐ पंजीकृत कार्यालय ☐ अनिर्धारित

(किसी एक निम्नलिखित पते का प्रमाण(पीओए) को जमा करना आवश्यक है।)

पते का प्रमाण*

☐ पासपोर्ट संख्या*		पासपोर्ट एक्सपायरी तारीख		
☐ वोटर आई.डी. कार्ड				
☐ ड्राइविंग लाइसेंस		ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायरी तारीख		
☐ आधार कार्ड				
☐ नरेगा जॉब कार्ड				

☐ अन्य (केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य कोई दस्तावेज) | पहचान संख्या

3.2 पता/स्थानीय पता विवरण (कृपया अंत में अनुदेश ई देखें।)चालू/स्थाई/विदेशी पता विवरण के समान(अनेक पत्राचार/स्थानीय पते के मामले में, कृपया 'अनुलग्नक ए1' देखें तथा प्रासंगिक दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करें।)

पंक्ति 1*					
पंक्ति 2					
पंक्ति 3			शहर/कस्बा/गांव*		
जिला*		जिप/पोस्ट कोड*	राज्य/यू.टी. कोड		भारतीय मोटरवाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार
राज्य/यूटी*		देश *		देश कोड	आईएसओ 3166 के अनुसार

4. संपर्क विवरण (दिये गये मोबाइल नम्बर/ई-मेल आईडी पर सभी संप्रेषण भेजे जायेंगे)(कृपया अंत में अनुदेश एफ का संदर्भ लें।)

ई-मेल आईडी			
मोबाइल	-	टेली.(आ.)	-

5. एफ.ए.टी.सी.ए./सीआरएस जानकारी (यदि लागू हो तो टिक करें।) ☐ भारत के बाहर के क्षेत्राधिकार(दों) में कर के उद्देश्य के लिए निवास (कृपया अंत में अनुदेश बी का संदर्भ लें।)

अतिरिक्त आवश्यक विवरण* (यदि उपर्युक्त विकल्प (5)को टिक किया गया है तो ही यह अनिवार्य है।)

निवासी के क्षेत्राधिकार का देश* ☐ निवासी के क्षेत्राधिकार का देश कोड* ☐ आईएसओ 3166 अनुसार

कर पहचान संख्या या इसके समतुल्य (यदि क्षेत्राधिकार द्वारा जारी किया गया है)* ☐

स्थान/जन्म का शहर* ☐ जन्म का देश* ☐ देश कोड ☐ आईएसओ3166के अनुसार

पता

पंक्ति 1					
पंक्ति 2					
पंक्ति 3			शहर/ /गांव*		
जिला*		जिप/पोस्ट कोड*	राज्य/यू.टी. कोड		भारतीय मोटरवाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार
राज्य/यूटी*		देश *		देश कोड	आईएसओ 3166 के अनुसार

6. संबंधित व्यक्तियों का विवरण (वैकल्पिक) (कृपया अंत में अनुदेश जी का संदर्भ लें।) (अतिरिक्त संबंधित व्यक्तियों के मामले में कृपया 'अनुलग्नक बी1' भरें।)

☐ संबंधित व्यक्ति ☐ संबंधित व्यक्ति का विलोपन संबंधित व्यक्ति की केवाईसी संख्या (यदि उपलब्ध है*) ☐

संबंधित व्यक्ति का प्रकार* ☐ नाबालिग के अभिभावक ☐ समनुदेशिती ☐ प्राधिकृत प्रतिनिधि

	संबोधन	प्रथम नाम	मध्य नाम	उप नाम
नाम*				

(यदि के.वाई.सी. संख्या तथा नाम दिया गया हैं तो खण्ड 6 का निम्नलिखित विवरण वैकल्पिक है।)

☐ संबंधित व्यक्ति के पहचान का प्रमाण (पी.ओ.आई.) (कृपया अंत में अनुदेश (एच) को देखें)

(निम्नलिखित में से पहचान के प्रमाण (पीओआई) कोई एक सर्टिफायड प्रति प्रस्तुत की जानी है।)

☐ ए - पासपोर्ट संख्या		पासपोर्ट एक्सपायरी तारीख		
☐ बी- वोटर आई.डी. कार्ड				
☐ डी ड्राइविंग लाइसेंस		ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायरी तारीख		
☐ ई-आधार कार्ड				
☐ एफ -नरेगा जॉब कार्ड				

☐ जेड-अन्य (केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य कोई दस्तावेज) | पहचान संख्या

7. टिप्पणी (यदि कोई हो तो)

8. आवेदक की घोषणा

* मैं एतद्-द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास में सत्य तथा सही हैं तथा मैं यह घोषणा करता हूँ कि उसमें होने वालेकिसी भी बदलाव के संबंध में मैं आपको सूचित करुँगा। यदि उपर्युक्त जानकारी झूठी या असत्य या भ्रामक या मिथ्या पाई गयी तो मैं यह जानता हूँ कि मैं इसके लिए जिम्मेदार रहूंगा। मैं एतद्-द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं किसी सरकारी या सांविधिक प्राधिकारी द्वारा समय-सयम पर जारी किसी अधिनियम, नियम, विनियम या किसी विधान के कानून या किसी अधिसूचना/दिशा-निर्देश के उल्लंघन के लिए यह आवेदन नहीं प्रस्तुत कर रहा हूँ।

आवेदक के हस्ताक्षर
अंगूठे के निशान

* मैं एतद्-द्वारा उपर्युक्त पंजीकृत संख्या/ई-मेल पते पर एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से सेन्ट्रल केवाईसी रजिस्ट्री से जानकारी प्राप्त करने की सहमति देता हूँ।

दिनांक: ☐☐ - ☐☐ - ☐☐☐☐ स्थान : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

9. अभिप्रमाणन/केवल कार्यालय प्रयोग के लिए

दस्तावेज प्राप्त ☐ **प्रमाणित प्रति**

आई.पी.वी/केवाईसी सत्यापनकर्ता(अनुदेश आई तथा जे का संदर्भ लें।) **संस्थान का विवरण**

दिनांक	- -	नाम	
कर्मचारी नाम		कोड	
कर्मचारी कोड		कर्मचारी शाखा	
कर्मचारी पदनाम			

(कर्मचारी हस्ताक्षर)

कृते बैंक ऑफ़ इंडिया

(स्टाम्प)

एकल केवाईसी आवेदन फॉर्म भरने के लिए अनुदेश/दिशा-निर्देश

सामान्य अनुदेश :

1. दस्तावेजों का स्वप्रमाणन अनिवार्य है।
2. के.वाई.सी. विवरणों के अद्यतनीकरण/परिवर्तन के मामले में आवेदक की केवाईसी संख्या अनिवार्य है।
3. किसी विशेष खण्ड के अद्यतनीकरण के लिए खण्ड संख्या के पूर्व उपलब्ध बॉक्स को कृपया टिक () करें तथा जिन खण्डों को अद्यतन नहीं करना है उन्हें काट दें।
4. जमा किये गये सभी दस्तावेजों की प्रतियाँ आवेदक के द्वारा अनिवार्यत: स्व-अभिप्रामाणित की जानी है तथा सत्यापन के लिए इसे मूल के साथ प्रस्तुत किया जाना है। यदि किसी दस्तावेज की मूल प्रति सत्यापन के लिए नहीं प्रस्तुत की जाती है तो (आई) के अंतर्गत उल्लिखित सूची के अनुसार दस्तावेजों को अभिप्रमाणित के लिए प्राधिकृत संस्थाओं के द्वारा इसे विधिवत् अभिप्रामाणित किया जाना चाहिए।
5. यदि पहचान चा पते का कोई प्रमाण विदेशी भाषा में है तो अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद आवश्यक होगा।
6. के.वाईसी. फार्म में उल्लिखित आवेदक के नाम तथा पते, प्रस्तुत दस्तावेजी प्रमाण से मेल खाने चाहिए।
7. यदि पत्राचार तथा स्थाई पता अलग-अलग हैं तो दोनों के लिए प्रमाण प्रस्तुत किये जाने हैं।
8. एकल मालिक को अपने व्यक्तिगत नाम तथा क्षमता में आवेदन करना चाहिए।
9. अनिवासी भारतीय तथा विदेशी नागरिक (जो आरबीआई तथा फेमा दिशा-निर्देशों के अनुसार) ट्रेड करने के लिए अनुमति प्राप्त हैं उनके लिए पासपोर्ट/पीआईओ कार्ड/ओसीआई कार्ड तथा विदेशी पता प्रमाण की प्रति अनिवार्य है।
10. मर्चेंट नेवी एन.आर.आई. के मामले में नाविक की घोषणा या सीडीसी (निरन्तर डिस्चार्ज प्रमाणपत्र) प्रस्तुत किया जाना है।
11. नाबालिग के लिए डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट या म्यूचुअल फंड के लिए खाता खोलते समय, उच्चतर माध्यमिक बोर्ड द्वारा जारी अंकपत्र/स्कूल छोडने का प्रमाणपत्र/नाबालिग का पासपोर्ट/जन्म प्रमाणपत्र की प्रति उपलब्ध करानी है।

ए. 'पहचान विवरण' खण्ड भरने पर स्पष्टीकरण/दिशा-निर्देश

1. नाम: उपसर्ग (श्री/श्रीमती/सुश्री/डॉ./इत्यादि) के साथ नाम का उल्लेख करें। प्रस्तुत किये गये पहचान के प्रमाण में उल्लिखित नाम के साथ प्रतिपादित नाम मेल खाना चाहिए नहीं तो आवेदन को निरस्त कर दिा जायेगा।
2. पिता का नाम या पत्नी का नाम अनिवार्यत: प्रस्तुत किया जाना है। यदि पैन उपलब्ध नहीं है तो पिता का नाम दिया जाना है।

बी. विवरण भरने पर स्पष्टीकरण/दिशा-निर्देश यदि टैक्स के उद्देश्य के लिए आवेदक का निवास भारत से बाहर के क्षेत्राधिकार(रों) में है।

1. कर पहचान संख्या (टीआईएन) : यदि क्षेत्रधिकार के द्वारा इसे जारी नहीं किया गया है तो टीआईएन को नहीं रिपोर्ट किया जाना है। परन्तु यदि उक्त क्षेत्राधिकार ने पहचान के समतुल्य स्तर के साथ (एक 'कार्यात्मक समतुल्य') उच्च सत्यनिष्ठा संख्या (हाई इंटिग्रिटी नम्बर) जारी की है तो इसे रिपोर्ट किया जाना है। व्यक्तियों के लिए इस प्रकार की संख्या का उदाहरण है - कोई सामाजिक सुरक्षा/बीमा संख्या, नागरिक/व्यक्तिगत पहचान/सेवा कोड/संख्या तथा निवासी पंजीकरण संख्या।

सी. 'पहचान का प्रमाण (पीओआई)' खण्ड भरने के लिए स्पष्टीकरण/दिशा-निर्देश, यदिपैन कार्ड की प्रति संलग्न नहीं है/पैन से छूट प्राप्त निवेशकों के लिए

1. यदि पहचान के प्रमाण के रूप ड्राइविंग लाइसेंस संख्या या पासपोर्ट दिया गया है तो एक्सपायरी तारीख अनिवार्यत: प्रस्तुत की जानी है।
2. यदि जेड-अन्य (केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई दस्तावेज) टिक किया जाता है तो पहचान/संदर्भ संख्या का उल्लेख करें।
3. अन्य-निम्नलिखित में से किसी के द्वारा जारी, आवेदक की तस्वीर के साथ पहचान पत्र : केन्द्र/राज्य सरकार विभाग, सांविधिक/विनियामकीय प्राधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, सार्वजनिक वित्तीय संस्थाएं, विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज, पेशेवर निकायों जैसे आईसीएआई, आईसीडब्ल्यूएआई, आईसीएसआई, बार परिषद इत्यादि द्वारा अपने सदस्यों को जारी पहचान पत्र, तथा बैंकों के द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड।
4. राजपत्रिक अधिकारी द्वारा जारी पत्र, व्यक्ति के विधिवत् अभिप्रमाणित तस्वीर के साथ।

डी. पते का प्रमाण खण्ड को भरने के लिए स्पष्टीकरण/दिशा-निर्देश

1. पी.ओ.ए. को तब ही जमा करना है जब प्रस्तुत पीओआई में पता नहीं है या पीओआई के अनुसार पता अवैण है या लागू नहीं है।

2. विदेशी पताओं के लिए राज्य/यूटी कोड या पिन/पोस्ट कोड अनिवार्य नहीं होगा।
3. अन्यों में शामिल है - किसी भी सेवा-प्रदाता का उपयोगिता बिल जो दो माह से अधिक पुराना न हो (बिजली, टेलीफोन, पोस्टपेड मोबाइल फोन, पाइप गैस, पानी बिल), बैंक खाता या पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक खाता विवरण, विदेशी क्षेत्राधिकारों के सरकारी विभागों द्वारा जारी दस्तावेज तथा भारत में विदेशी दूतावास या मिशन द्वारा जारी पत्र, निम्नलिखित में से किसी के द्वारा जारी आवेदक की तस्वीकर तथा पते के साथ पहचान पत्र: केन्द्र/राज्य सरकार विभाग, सांविधिक/विनियामकीय प्राधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, सार्वजनिक वित्तीय संस्थाएं, विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज, पेशेवर निकायों जैसे आईसीएआई, आईसीडब्ल्यूएआई, आईसीएसआई, बार परिषद इत्यादि द्वारा अपने सदस्यों को जारी पहचान पत्र, तथा बैंकों के द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड।

ई. 'पते के प्रमाण [पीओए] पत्राचार/स्थानीय पता विवरण' खण्ड भरने के लिए स्पष्टीकरण/दिशा-निर्देश

1. केवल तब ही भरा जाना है जब पीओए स्थानीय पता नहीं है या वह पता नहीं है जहाँ ग्ररहक वर्तमान में रहता है। अलग से कोई पीओए जमा करना आवश्यक नहीं है।
2. अनेक पत्राचार/स्थानीय पतों के मामले में कृपया 'अनुलग्नक ए1' भरें।
3. अन्यों में शामिल है - किसी भी सेवा-प्रदाता का उपयोगिता बिल जो दो माह से अधिक पुराना न हो (बिजली, टेलीफोन, पोस्टपेड मोबाइल फोन, पाइप गैस, पानी बिल), बैंक खाता या पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक खाता विवरण, विदेशी क्षेत्राधिकारों के सरकारी विभागों द्वारा जारी दस्तावेज तथा भारत में विदेशी दूतावास या मिशन द्वारा जारी पत्र, निम्नलिखित में से किसी के द्वारा जारी आवेदक की तस्वीर तथा पते के साथ पहचान पत्र: केन्द्र/राज्य सरकार विभाग, सांविधिक/विनियामकीय प्राधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, सार्वजनिक वित्तीय संस्थाएं, विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज, पेशेवर निकायों जैसे आईसीएआई, आईसीडब्ल्यूएआई, आईसीएसआई, बार परिषद इत्यादि द्वारा अपने सदस्यों को जारी पहचान पत्र, तथा बैंकों के द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड।

एफ. 'संपर्क विवरण' खण्ड को भरने पर स्पष्टीकरण दिशा-निर्देश

1. कृपया दो अंकों का देश कोड तथा 10 अंकों की मोबाइल संख्या प्रविष्ठ करें। (जैसे कि भारतीय मोबाइल संख्या के लिए 91-9999999999 भरा जा सकता है।)
2. मोबाइल नम्बर के आरंभ में '0' न जोड़े।

जी. 'संबंधित व्यक्ति विवरण' खण्ड भरने पर स्पष्टीकरण/दिशा-निर्देश

1. संबंधित व्यक्ति की के.वाई.सी संख्या उपलब्ध कराएं यदि उपलब्ध हो।

एच. 'संबंधित व्यक्ति विवरण- संबंधित व्यक्ति के पहचान का प्रमाण (पीओआई)' खण्ड को भरने पर स्पष्टीकरण/दिशा-निर्देश

1. यदि जेड - अन्य (केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई दस्तावेज) टिक किया जाता है तो पहचान संख्या/संदर्भ संख्या का उल्लेख करें।

आई. मूल के साथ सत्यापन के बाद दस्तावेजों को अभिप्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों की सूची

1. ए.एम.सी के प्राधिकृत अधिकारी।
2. आस्ति प्रबंधन कंपनियों (ए.एम.सी) के पक्ष से कार्य करने वाले रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट (आर एवं टी) के प्राधिकृत अधिकारी
3. के.वाई.डी. अनुपालित म्यूचुंअल फंड वितरक
4. पब्लिक नोटरी, राजपत्रित वाणिज्यिक/सहकारी बैंक या बहुराष्ट्रीय विदेशी बैंक के प्रबंधक (नाम, पदनाम तथा शील, प्रतिलिपि पर लगाया जाना है।)
5. एन.आर.आई. के मामले में भारत में पंजीकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के विदेशी शाखाओं के प्राधिकृत अधिकारी, पब्लिक नोटरी, न्यायिक दण्डाधिकारी, न्यायाधीश, ग्राहक जिस देश में रहता है उस देशं के भारतीय दूतावास/वाणिज्यिक दूतावास, दस्तावेजों को अभिप्रमाणित करने के लिए अनुमति प्राप्त हैं।
6. सरकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो एपोस्टिल सर्टिफिकेट जारी करने के लिए शक्ति प्राप्त हैं।

जे. व्यक्तिगत सत्यापन (आई.पी.वी.) को पूरा करने के लिए व्यक्तियों की सूची

1. आस्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) के प्राधिकृत अधिकारी
2. ए.एम.सी. के पक्ष से कार्य करने वाले रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट (आर एण्ड टी) के प्राधिकृत अधिकारी
3. के.वाई.डी. अनुपालित म्यूचुंअल फंड वितरक

4. अनुसूचित वाणिज्यिक/सहकारी बैंक या बहुराष्ट्रीय विदेशी बैंकों (सीधे निवेश करने वाले निवेशकों के लिए) के प्रबंधक
5. एन.आर.आई. आवेदनों के मामले में, दस्तावेज अभिप्रमाणित करने वाला व्यक्ति व्यक्तिगत सत्यापन भी कर सकता है तथा इसकी केवाईसी फार्म में पुष्टि कर सकता है।

के. पैन से छूट प्राप्त निवेशक संवर्ग

1. ऐसे निवेश (एसआइपी सहित) जो प्रति म्यूचुअल फंड, प्रति वर्ष, प्रति निवेशक रु.50,000/- तक म्यूचुअल फंड योजनाओं में हों।
2. कोर्ट द्वारा नियुक्त अधिकारियों जैसे अधिकारिक परिसमापक, कोर्ट रिसीवर इत्यादि द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार की ओर से किये गये संव्यवहार
3. सिक्कत राज्य में निवास करने वाले निवेशे
4. यूएन संस्थाएं/बहुपक्षीय एजेंसी जो भारत में कर देने/कर फाइल करने से छूट प्राप्त है।

भारतीय मोटरवाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार दो डिजिट राज्य/यू.टी.कोड की सूची

राज्य/यूटी	कोड
अंडमान एवं निकोबार	AN
आंध्र प्रदेश	AP
अरुणाचल प्रदेश	AR
असम	AS
बिहार	BR
चंडीगढ	CH
छत्तीसगढ़	CG
दादरा एवं नगर हवेली	DN
दमन एवं दीव	DD
दिल्ली	DL
गोवा	GA
गुजरात	GJ
हरियाणा	HR

राज्य/यूटी	कोड
हिमाचल प्रदेश	HP
जम्मू एवं कश्मीर	JK
झारखण्ड	JH
कर्नाटक	KA
केरल	KL
लक्षद्वीप	LD
मध्य प्रदेश	MP
महाराष्ट्र	MH
मणिपुर	MN
मेघालय	ML
मिजोरम	MZ
नागालैंड	NL
ओड़िशा	OR

राज्य/यूटी	कोड
पुदुचेरी	PY
पंजाब	PB
राजस्थान	RJ
सिक्कम	SK
तमिलनाडु	TN
तेलंगाना	TS
त्रिपुरा	TR
उत्तर प्रदेश	UP
उत्तराखण्ड	UA
पश्चिम बंगाल	WB
अन्य	XX

आईएसओ 3166 सूची, दो-डिजिट कंट्री कोड

देश	कंट्री कोड	देश	कंट्री कोड	देश	कंट्री कोड	देश	कंट्री कोड
अफगानिस्तान	AF	डोमिनिक गणतंत्र	DO	लिबिया	LY	सेंट मार्टिन	MF
ऑलैण्ड द्वीपसमूह	AX	इक्वाडोर	EC	लिक्टेनिस्टीन	LI	सेंट पिएटे एंड मिक्वेलॉन	PM
अल्बानिया	AL	मिस्त्र	EG	लिथुउपनिया	LT	सेंट विंसेंट एण्ड द ग्रेनेडाइन्स	VC
अल्जीरिया	DZ	सल्वाडोर	SV	लक्जमबर्ग	LU	पश्चिमी सामोआ	WS
अमेरिकन सामोआ	AS	एक्वेटोरियल	QQ	मकाओ	MO	सैन मारिनो	SM
अंडोरा	AD	एरिट्रेया	ER	मकदूनिया	MK	साओ टॉम एंड प्रिंसिपी	ST
अंगोला	AO	एस्तोनिया	EE	मैडागास्कर	MG	साऊदी अरब	SA
अंग्विला	AI	इथिमोपिया	ET	मलावी	MW	सेनेगल	SN
अंटार्टिका	AQ	फाकलैंड द्वीप समूह	FK	मेक्सिको	MX	सार्बिया	RS
एंडीगुआ और बारबूडा	AG	फराओ द्वीप समूह	FO	मलेशिया	MY	सेशेल्स	SC
अर्जेंटिना	AR	फिजी	FJ	मालदीव	MV	सियारा लिओन	SL
आर्मेनिया	AM	फिनलैंड	FI	माली	MZ	सिंगापुर	SQ
अरूबा	AW	फ्रांस	FR	माल्टा	MT	सिण्ट मार्टिन	SX
आस्ट्रेलिया	AV	फ्रेंच गुआना	GF	मार्शल द्वीप समूह	MH	स्लोवाकिया	SK
आस्ट्रिया	AT	फ्रेंच पॉलिनेसिया	PF	मार्टिनिका	MQ	स्लोवानिया	SI
अजरबेजान	AZ	फ्रांसीसी दक्षिणी क्षेत्र	TF	मॉरितानिया	MR	सोलोमन द्वीपसमूह	SB
बहामास	BS	गैबोन	GA	मारीशस	MU	सोमालिया	SO
बहटीन	BH	जांबिया	GM	मायोते	YT	दक्षिण अफ्रिका	ZA
बांग्लदेश	BD	जार्जिया	GE	मक्सिको	MY	दक्षिण जॉर्जिया और दक्षिण सैंडविच द्वीप समूह	QS
बार्बाडोस	BB	जर्मनी	DE	माइक्रोनेशिया	FM	दक्षिणी सूडान	SS
बेलारूस	BY	घाना	GM	मोलदोवा	MD	स्पेन	ES
बेल्जियम	BE	जिब्राल्टर	GI	मोनाको	MC	श्रीलंका	LK
बेलिज	BZ	यूनान	GR	मंगोलिया	MN	सूडान	SP
बेनिन	BJ	ग्रीनलैंड	GL	मोंटेनेग्रो	ME	सूदीनाम	SR
बर्मूडा	BM	ग्रेनेडा	GD	मोंटसेराट	MS	स्यालबार्ड एंड जन मावेम	SJ
भूटान	BT	ग्वाडेलोप	GP	मोरक्को	MA	स्वाजीलैंड	SZ

बोलिविया	BO	ग्वाम	GU	मोजांबिक	MZ	स्वीडन	SE
बोनेयर सेंटयूस्टेस तथा सबा	BQ	ग्वाटेमाला	GT	म्यामांर	MM	स्विट्जरलैंड	CH
बोस्निया हर्जेगोविना	BA	ग्वौमसे	GG	नामीबिया	NA	सीरिया	SY
बोत्सवाना	BW	गिनी	GN	नाउरू	NR	ताइवान	TW
बाउवेट द्वीप	BV	गिनी-बिसाउ	GW	नेपाल	NP	तजाकिस्तान	TJ
ब्राजील	BR	गुआना	GY	नीदरलैंड	NL	तंजानिया	TZ
ब्रितानी हिन्द महासागरीय क्षेत्र	IO	हैती	HT	न्यू कैलेडोनिया	NC	थाईलैंड	TH
ब्रुनेई	BN	हर्ड एंड मैकडोनाल्ड द्वीपसमूह	HM	न्यूजीलैंड	NZ	पूर्वी तिमोर	TL
बल्गारिया	BQ	वेटिकन सिटी स्टेट	VA	निकारागुआ	NI	टोगो	TG
बुर्किना फासो	BF	होंडुरास	HN	नाइजर	NE	टोकेलू	TK
बुरूंडी	BI	हांग कांग	HK	नाइजीरिया	NG	टोंगा	TO
केप वर्दे	CV	हंगरी	HU	नियू	NV	ट्रिनिडाड एवं टोबैगो	TT
कंबोडिया	KH	आइसलैंड	IS	नोरफॉक द्वीप	NF	ट्यूनीशिया	TN
कैमरून	CM	भारत	IN	उत्तर मैरिना द्वीपसमूह	MP	तुर्की	TR
कनाडा	CA	इंडोनेशिया	ID	नॉर्वे	NO	तुर्कमेनिस्तान	TM
कैमन आइलैंड	KY	ईरान	IR	ओमान	OM	तुर्क एंड कैकोस द्वीपसमूह	TC
सेन्ट्रल अफ्रीका गणतंत्र	CF	इराक	IQ	पाकिस्तान	PK	तुवालू	TV
चाड	TD	आयरलैंड	IE	पलाउ	PW	उगांडा	UG
चिली	CL	आइसल ऑफ मैन	IM	फिलिस्तीन राज्य	PS	यूक्रेन	UA
चीन	CN	इजराइल	IL	पनामा	PA	संयुक्त अरब अमीरात	AE
क्रिसमस द्वीप	CX	इटली	IT	पापुआ न्यू गिनी	PG	ग्रेट ब्रिटेन	GB
कोकोस(कीलिंग) द्वीप	CC	जमैका	JM	पराग्वे	PY	अमेरिका	US
कोलंबिया	CO	जापान	JP	पेरू	PE	यूएस माइनर आउटलाइंग द्वीप समूह	UM
कोमोरोस	KM	जर्सी	JE	फिलीपींस	PH	उरुग्वे	UY
कांगो	CG	जॉर्डन	JO	पिटकैर्न द्वीपसमूह	PN	उजबेकिस्तान	UZ
कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य	CD	कजाखिस्तान	KZ	पोलैंड	PL	वनातू	VU
कुक द्वीप	CK	केन्या	KE	पुर्तगाल	PT	वेनेजुएला	VE
कोस्टा रिका	CR	किरिबाती	KI	पुएर्तो रिको	PR	विएतनाम	VN
आइवरी कोस्ट	CI	उत्तर कोरिया	KP	कतर	QA	ब्रिटानी वर्जिन द्वीपसमूह	VG
क्रोएशिया	HR	दक्षिण कोरिया	KR	रीयूनियन	RE	अमेरिकी वर्जिन द्वीपसमूह	VI
क्यूबा	CU	कुवैत	KW	रोमानिया	RO	वालीज एंड फुटुना	WF
कुरसावो	CW	किर्जिस्तान	KG	रूस	RU	पश्चिमी सहारा	EH
साइप्रस	CY	लाओस	LA	रवांडा	RW	यमन	YE
चेक गणतंत्र	CZ	लात्विया	LV	सेंट बार्थेलेमी	BL	जांबिया	ZM
डैनसमार्क	DK	लेबनान	LB	सेंट हेलेना	SH	जिंबाबवे	ZW
जिबॉती	DJ	लेसाथो	LS	सेंट किट्स एंड नेविस	KN		
डोमिनिक	DM	लाइबेरिया	LR	सेंट लुसिया	LC		

सेबी तथा डिपोजिटरी द्वारा यथा प्रतिपादित लाभार्थी मालिक तथा डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के अधिकार एवं दायित्व

सामान्य उपबंध

1. लाभार्थी मालिक तथा डिपेजिटरी पार्टिसिपेंट, डिपोजिटरी अधिनियम 1996, सेबी (डिपोजिटरी तथा पार्टिसिपेंट) विनियम, 1996, भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड (सेबी) के नियम तथा विनियम, इसके अंतर्गत जारी परिपत्र/अधिसूचना/दिशा-निर्देश, डिपोजिटरियों द्वारा जारी उपविधि तथा कारोबार नियम/परिचालनात्मक अनुदेश तथा सरकारी प्राधिकारियों की प्रासंगिक अधिसूचना जो कि समय-समय पर लागू है।

2. संबंधित डी.पी., पूरी तरह से भरा हुआ खता खोलने का फार्म, के.वाई.सी. तथा समय-समय पर सेबी द्वारा यथा निर्धारित समर्थक दस्तावेजों की प्राप्ति के बाद ही डिपोजिटरी सिस्टम में किसी लाभार्थी मालिक के डिमैट खाते को खोलेगा/सक्रिय करेगा।

लाभार्थी मालिक जानकारी

3. संबंधित डी.पी. गुप्त रूप से, खाता खोलने के फॉर्म, उनके द्वारा प्रस्तुत समर्थक दस्तावेजों में यथा उल्लिखित लाभार्थी स्वामी (स्वामियों) के विवरण तथा/या लाभार्थी स्वामी से संबंधित कोई अन्य कोई जानकारी का रखरखाव करेगा तथा इस संबंध में किसी सांविधिक, विधिक या विनियामकीय प्राधिकारी के द्वारा यथा आवश्यक को छोड़कर, किसी व्यक्ति को उद्घाटित नहीं करेगा।

4. डीमैट खाता खोलते समय डीपी को यथा प्रस्तुत खाता खोलने के फॉर्म में प्रस्तुत किसी विवरण में या समय-समय पर डीपी को प्रस्तुत किसी विवरण में यदि कोई परिवर्तन होता है तो लाभार्थी स्वामी डी.पी. को तत्काल अधिसूचित करेगा।

शुल्क/प्रभार/टैरिफ

5. लाभार्थी स्वामी, डी.पी.द्वारा दिये गये टैरिफ शीट में यथा निर्धारित तथा संबंधित डी.पी. एवं संबंधित लाभार्थी स्वामी के बीच समय-समय पर यथा सहमत, डिपोजिटरी सेवाएं प्राप्त करने के लिए तथा डीमैट रूप में प्रतिभूतियों को धारित तथा अंतरित करने के लिए डी.पी. को संबंधित शुल्क का भुगतान करेगा। लाभार्थी स्वामी को यह सूचित किया जा सकता है कि *"डीमैट खाता खोलने के लिए कोई प्रभार भुगतान योग्य नहीं है।"*

6. बेसिक सर्विस डीमैट खातों के मामलों में, संबंधित डी.पी., समय-सम पर जारी सेबी तथा/या डिपोजिटरी के प्रासंगिक परिपत्रों/दिशा-निर्देशों/अधिसूचनाओं के अंतर्गत प्रतिपादित शुल्क संरचना का अनुपालन करेंगे।

7. संबंधित डी.पी. कोई प्रभार/टैरिफ नहीं बढ़ायेगी जब तक कि इसने, इसके बारे में लाभार्थी स्वामी को 30 दिनों का लिखित में नोटिस न दिया हो।

डीमैटरियलाइजेशन

8. उपविधि, कारोबार नियमों तथा डिपोजिटरी के परिचालन अनुदेशों के अंतर्गत स्थापित तरीके से लाभार्थी स्वामी को डीमैट रूप में डिपोजिटरियों में स्वीकृत प्रतिभूतियों को प्राप्त करने का अधिकार होगा।

अलग-अलग खाते

9. संबंधित डी.पी., प्रत्येक लाभार्थी स्वामियों के नाम पर अलग-अलग खाते खोलेगी तथा डीमैट रूप में धारित, अन्य लाभार्थी स्वामियों की प्रतिभूतियों के साथ तथा/या अपनी प्रतिभूति के साथ इनको नहीं मिलायेगी।

10. डी.पी. लाभार्थी स्वामी को, डिपोजिटरी अधिनियम 1996, सेबी (डिपोजिटरी तथा पार्टिसिपेंट) विनियम, 1996 तथा उपविधि/परिचालनात्मक अनुदेश/डिपोजिटरियों के कारोबार नियम में निर्धारित स्वरूप तथा तरीकों को छोड़कर, डीमैट खाते में धारित तथा/या डीमैट के लिए प्रस्तुत सभी या किसी ऐसी प्रतिभूतियों के ऊपर किसी गिरवी तथा/या दृष्टिबंधक या कोई अन्य हित या भार को सृजित करने या अनुमति देने में मदद नहीं करेगा।

प्रतिभूतियों का अंतरण

11. संबंधित डी.पी. लाभार्थी स्वामी के डीमैंट खातों से तथा उसमें, अंतरण को, लाभार्थी मालिक के द्वारा विधिवत् प्राधिकृत किसी आदेश, अनुदेश, दिशा-निर्देश या अधिदेश के आधार पर ही प्रभावी किया जायेगा तथा संबंधित डी.पी. ऐसे प्रामाणीकरण की ओडिट ट्रेल तथा मूल दस्तावेज का रखरखाव करेगी।

12. लाभार्थी स्वामी, अपने डीमैट खाते में प्रतिभूतियों को जमा करने के संबंध में स्थाई अनुदेश देने के अधिकार को सुरक्षित रखता है तथा संबंधित डी.पी. ऐसे अनुदेशों के अनुसार कार्य करेगी।

खाते की विवरणी

13. संबंधित डी.पी., ऐसे रूप में तथा ऐसे तरीके से एवं ऐसे समय पर संबंधित लाभार्थी स्वामी को खाते की विवरणी उपलब्ध करायेगा जैसा कि लाभार्थी स्वामी सहमत हुआ है तथा इस संबंध में सेबी/डिपोजिटरी के द्वारा यथा निर्धारित किया गया है।

14. परन्तु यिद डीमैट खाते में कोई संव्यवहार नहीं है या वर्ष के दौरान शेष राशि शून्य हो जाती है तो ऐसे बी.ओ. को डी.पी., वार्षिक आधार पर एक भौतिक विवरणी भेजेगा तथा खाते में जैसे ही संव्यवहार होता है वैसे ही संव्यवहार विवरणी भेजना आरंभ कर देगा।

15. यदि लाभार्थी स्वामी ऐसा चाहता है तो डी.पी., डीमैट खातों में इलेक्ट्रॉनिक मोड में डीमैट की विवरणी जारी करने की सेवाएं उपलब्ध करा सता है। संबंधित डी.पी. लाभार्थी स्वामी को, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत यथा शासित अपने डिजिटल हस्ताक्षर के अंतर्गत, डीमैट खातों की विवरणी प्रस्तुत करेगा। परन्तु यदि डी.पी. के पास इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से डीमैट खाते की विवरणी को उपलब्ध कराने की सुविधा नहीं है तो पार्टिसिपेंट के लिए यह बाध्यकारी है कि वह भौतिक रूप में डीमैट खाते की विवरणी को अग्रेषित करें।

16. बेसिक सर्विस डीमेट खातों के मामलों में, समय-समय पर सेबी तथा/या डिपोजिटरी द्वारा यथा अनुदेशित के अनुसार, डी.पी., संव्यवहार विवरणी को भेजेगा।

डीमैट खाते को बंद करने का तरीका

17. डी.पी. के पास लाभार्थी स्वामी के डीमैट खाते को बंद करने का अधिकार होगा। इसका कारण कुछ भी हो सकता है, परन्तु इसकी शर्त यह होगी कि डिपोजिटरी तथा लाभार्थी स्वामी को लिखित में

तीस दिन से कम अवधि का नोटिस नहीं दिया जाता है। इसी प्रकार, लाभार्थी स्वामी के पास भी, संबंधी डी.पी. के पास धारित खाते को बंद करने का अधिकार होगा परन्तु इसकी शर्त यह है कि उसे संबंधित डी.पी. को कोई प्रभार देना शेष नहीं है। ऐसी स्थिति में, लाभार्थी स्वामी यह निर्दिष्ट करेगा कि उनके डीमैट खाते में शेष राशि को लाभार्थी स्वामी के अन्य डीमैट खाते में अंतरित करना है या धारित प्रतिभूति शेष राशि को रीमटिरीयलाइज करना है।

18. लाभार्थी स्वामी के अनुदेश के आधार पर, डिपोजिटरी के द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तीस दिनों की अवधि के दौरान ऐसी प्रतिभूति शेष राशि को अंतरित करने या डीमटिरीयलाइज करने की कार्रवाई, डी.पी. आरंभ करेगा। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यातव्य है कि डीमैट खाते की बंदी, न तो लाभार्थी स्वामी की और न ही डी.पी. के अधिकारों, देयताओं तथा उत्तरदायित्वों को प्रभावित करेगा तथा उनके संतोषजनक समापन तक संबंधित पक्षों को एक साथ रखेगा।

प्रभारों के भुगतान में चूक

19. माँग की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर उपलब्ध 5 तथा 6 में प्रतिपादित किसी राशि के भुगतान में यदि लाभार्थी स्वामी चूक करता है तो लाभार्थी स्वामी के डीमैट खाते को बंद करने के डी.पी. के अधिकार को प्रभावित किये बिना, डी.पी. ब्याज प्रभारित कर सकता है। इस ब्याज की दर ऐसी चूक की अवधि के लिए समय-समय पर डिपोजिटरी के द्वारा निर्धारित दर पर होगी।

20. यदि लाभार्थी स्वामी उपर्युक्त उपबंध 5 तथा 6 में प्रतिपादित किसी राशि के भुगतान में चूक करता है तो संबंधित डी.पी., लाभार्थी स्वामी को दो दिनों का नोटिस देकर, लाभार्थी स्वामी के अनुदेशों के प्रसंस्करण को रोकने का अधिकार रखता है, जब तक कि वह ब्याज सहित, यदि कुछ हो तो, भुगतान नहीं करता।

डिपोजिटरी की जिम्मेदारी

21. डिपोजिटरी अधिनिय, 1996 की धारा 16 के अनुसार,

    1. इस समय लागू किसी अन्य विधि के प्रावधानों पर प्रभाव डाले बिना, डिपोजिटरी या पार्टिसिपेंट की गलती के कारण, लाभार्थी स्वामी को हुई किसी भी हानि की क्षतिपूर्ति, वैसे लाभार्थी स्वामी को, डिपोजिटरी करेगा।
    2. जहाँ उपर्युक्त उपबंध (1) के अंतर्गत पार्टिसिपेंट की गलती के कारण हानि होती है तथा उसकी क्षतिपूर्ति डिपॉजिटरी करता है वहाँ डिपॉजिटरी के पास ऐसे पार्टिसिपेंट से इसे वसूल करने का अधिकार होगा।

खातों को फ्रिज/डीफ्रिज करना

22. संबंधित उप विधि तथा कारोबारी नियमों/परिचालनात्मक अनुदेशों के अंतर्गत स्थापित बाध्यताओं के अधीन तथा संगत प्रक्रियाओं के अनुसार लाभार्थी स्वामी को संबंधित डी.पी. के पास रखे गये अपने डीमैट खाते को फ्रीज/डीफ्रीज करने का अधिकार होगा।

23. किसी विनियामक या न्यायालय या किसी सांविधिक प्राधिकारी से अनुदेशों की प्राप्ति पर लाभार्थी स्वामी के खातों को फ्रीज या डिफ्रीज करने का अधिकार, डी.पी. या डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट को होगा।

निवेशकों की शिकायतों का निपटारा

24. संबंधित डी.पी. शिकायत के प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के अंदर डी.पी. के विरूद्ध लाभार्थी स्वामी की सभी शिकायतों को दूर करेगा।

प्राधिकृत प्रतिनिधि

25. यदि लाभार्थी स्वामी कॉरपोरेट निकाय या विधिक संस्था है तो वह खाता खोलने के फार्म के साथ उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों की एक सूची डी.पी. को प्रस्तुत करेंगे जो पार्टिसिपेंट के साथ उसकी ओर से प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे तथा आपसी संवाद करेंगे। इसे सूची में कुछ जोड़ना, घटना या इसमें कोई परिवर्तन, पार्टिसिपेंट को सूचित किया जायेगा।

कानून तथा क्षेत्राधिकार

26. इस दस्तावेज में प्रतिपादित विशिष्ट अधिकारों के अतिरिक्त संबंधित डी.पी. तथा संबंधित लाभार्थी स्वामी, किन्हीं अन्य अधिकारों के प्रयोग के लिए पात्र होगा जो कि जिस संबंधित डिपॉजिटरी में डीमैट खाता खुला है उसके विनियमों, उप विधियों तथा नियमों एवं इनके अंतर्गत जारी परिपत्रों/नोटिसों या सेबी के नियमों तथा विनियमों में हैं।

27. इस दस्तावेज के प्रावधान सर्वदा, सरकारी अधिसूचना, किसी नियम, विनियम, दिशा-निर्देश तथा सेबी द्वारा जारी परिपत्रों तथा नोटिसों एवं जहाँ लाभार्थी स्वामी के खाते का रखरखाव किया जा रहा है, उस प्रासंगिक डिपॉजिटरी के नियमों विनियमों तथा उप-विधियों के अधीन होंगे जो समय-समय पर लागू होते हैं।

28. संबंधित लाभार्थी स्वामी तथा संबंधित डीपी, डिपॉजिटरी की उपविधि के अंतर्गत निधारित मध्यस्थता तथर सुलह की प्रक्रिया का पालन करेंगे तथा ऐसी प्रक्रिया, संबंधित डी.पी. तथा संबंधित लाभार्थी स्वामी के बीच किसी विवाद पर लागू होगी।

29. इस दस्तावेज में जो शब्द तथा अभिव्यक्तियाँ प्रयुक्त हुई हैं, परन्तु जो इसमें परिभाषित नहीं की गयी हैं, उनका वही अर्थ होगा जो संबधित डिपॉजिटरी तथा/या सेबी द्वारा संबंधित नियमों, उप विधियों तथा विनियमों एवं इसके अंतर्गत जारी परिपत्रों/नोटिसों में निर्धारित किया गया है, जब तक कि सन्दर्भ के अनुसार अन्य अर्थ न अपेक्षित हो।

30. अधिकारों तथा जिम्मेदारियों में कोई भी परिवर्तन जो सेबी/डिपॉजिटरी के द्वारा निर्धारित किये जाते हैं वे तुरंत ग्राहकों कं संज्ञान में लाये जाने चाहिए।

31. सेबी के नियमों तथा विनियमों में परिवर्तन के कारण या जहाँ लाभार्थी स्वामी अपने खाते का रखरखाव करता है, ऐसे प्रासंगिक डिपॉजिटरी की उपविधि, नियमों तथा विनियमों में परिवर्तन के कारण, यदि इस दस्तावेज के पक्षों के बीच अधिकार तथा जिम्मेदारियों परिवर्तित होती हैं जो इस दस्तावेज में उल्लिखित पक्षों के अधिकारों तथा जिम्मेदारियों के संशोधन में, ऐसे परिवर्तनों को इस दस्तावेज में शामिल कर दिया गा है, ऐसा माना जायेगा।

केवल तब ही भरा जना है जब एकल/प्रथम आवेदक बैंक ऑफ़ इंडिया का स्टाफ/पूर्व-स्टाफ है

प्रेषक:

____

____

____

प्रति:
मुख्य प्रबंधक,
डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कार्यालय(एनएसडीएल)
मुंबई- 400 001

प्रिय महोदय,

विषय: आपके साथ मेरा डीमैट खाता स्टाफ संवर्ग के लिए लागू पभार

मैं, बैंक ऑफ़ इंडिया का स्टाफ सदस्य/पूर्व स्टाफ सदस्य हूं। मेरी **पीएफ संख्या** [ ][ ][ ][ ][ ] है। मैं वर्तमान में ______________ शाखा में तैनात हूं/ __________________ शाखा से सेवा-निवृत्त हुआ हूं।

2. मैंने आपके साथ डीमैट खाता खोला है। मेरी ग्राहक आईडी ____ है। कृपया उपर्युक्त खाते को स्टाफ खाता माना जाए तथा कृपया उक्त खाते में स्टाफ श्रेणी के लिए प्रभार लागू किये जाएं।

सधन्यवाद,

आपका विश्वासी,

(   )

यह प्रमाणित करने के लिए है कि श्री/श्रीमती ____ बैंक ऑफ़ इंडिया के स्टाफ/भूतपूर्व स्टाफ हैं। इनकी पी.एफ.संख्या [ ] [ ][ ][ ] [ ] [ ] है तथा वर्तमान में ये __________________ शाखा में तैनात हैं/बैंक की सेवाओं से सेवा-निवृत्त हो चुके हैं।

कृते बैंक ऑफ़ इंडिया
प्राधिकृत हस्ताक्षरी

हस्ताक्षर _______________________
हस्ताक्षर कोड संख्या ____________

ध्यातव्य :

I. स्टाफ रियायत केवल तब ही उपलब्ध है जब डीमैट खाते में स्टाफ/भूतपूर्व स्टाफ, डीमैट खाते का प्रथम खाताधारक है।
II. इस उद्घोषणा को या तो शाखा के द्वारा प्रमाणित किया जाना है या अपने नाम तथा हस्ताक्षर कोड के अंतर्गत शाखा के अधिकारियों के द्वारा प्रमाणित किया जाना है जहाँ स्टाफ सदस्य वर्तमान में कार्य कर रहा है या पूर्व में कार्य किया था।

आवेदन संख्या [   ]

पावती

पार्टिसिपेंट का नाम, पता तथा डीपी आईडी आईएन 3007149

डिपॉजिटरी खाता खोलने के लिए एकल/प्रथम धारक के रूप में श्री/सुश्री ___________________________________ से, क्रमश: द्वितीय तथा तृतीय धारक के रूप में _____________________ तथा __________________________ के साथ, आवेदन प्राप्त किया। आपको शीघ्र ही क्लायंट आई.डी. सूचित की जायेगी। भविष्य के आपके सभी संप्रेषणों में डी.पी. आईडी तथा आपको आबंटित डी.पी.आई.डी. को कृपया उद्धृत करें।

दिनांक :   **पार्टिसिपेंट का स्टाम्प एवं हस्ताक्षर**